भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2908
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

दुग्ध उत्पादन

2908. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण क्षमता का उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी दूध की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है और क्या हम दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डेयरी किसानों के लाभ के लिए दूध और दूध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण डेयरी स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में विशेषकर बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब तक स्थापित नई ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा बिहार सहित देश भर में दुग्ध उत्पादकों को राज्यवार किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य सहित दूध उत्पादक लाभार्थी किसानों की संख्या का कोई आकलन किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना संबंधी पंजीकरण और लाइसेंसिंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। राज्यवार दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण संबंधी विनिर्माण क्षमता के सक्रिय लाइसेंस (केंद्रीय और राज्य) (एफएसएसएआई के अनुसार) **अनुबंध-**I में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। वर्ष 2023-24 के लिए भारत में दूध उत्पादन 239.30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो पिछले दशक की तुलना में 63.56% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह विश्व के कुल दूध उत्पादन में 25% योगदान देता है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है, जो विश्व औसत 328 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। एलएचडीसीपी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना है। पशु स्वास्थ्य संबंधी पहलू के बारे में ये उपाय दूध और दूध उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग वैश्विक मानकों के अनुपालन में डेयरी अवसंरचना के उन्नयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
ii. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)
iii. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित कार्य भी चल रहे हैं:

i. दूध और दूध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2021 से निर्यात प्रोत्साहन योजना "निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP)" आरंभ की है। इस योजना के तहत, डेयरी उत्पादों के पात्र निर्यातकों को एफओबी मूल्य के 0.5% की अधिसूचित दर पर छूट दी जाती है।
ii. भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना -"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)" को भी अनुमोदन दिया है। योजना के घटकों में से एक ब्रांडेड उपभोक्ता पैक में मोज़ेरेला चीज़ सहित सभी भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन में मदद करना है।
iii. भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं (डेयरी वस्तुओं सहित) के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए "निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG)" जारी रखे हुए है। इस योजना का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क रियायतें प्रदान करके निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

(घ) सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 19.09.2024 को श्वेत क्रांति 2.0 प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में देश में 1.21 लाख डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण करना है। राज्यवार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ङ) दिनांक 31.03.2024 तक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 2.35 लाख डेयरी सहकारी समितियां स्थापित/सुदृढ़ की गई हैं।

(च) पशुपालन और डेयरी विभाग किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)

(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और डेयरी फार्मिंग से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं

(छ) और (ज) पशुपालन और डेयरी विभाग रूप से समीक्षा बैठकों में नियमित डेयरी क्षेत्र से जुड़े दूध उत्पादकों की संख्या की समीक्षा करता है। दिनांक 31.03.2024 तक, बिहार सहित देश भर में डेयरी सहकारी समितियों से 1.72 करोड़ दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं।

****

अनुबंध -I

दिनांक 13.03.2025 तक राज्यवार दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण हेतु विनिर्माण क्षमता के सक्रिय लाइसेंस (केंद्रीय और राज्य):

राज्य	दूध उत्पादन ('000 टन)	विनिर्माण क्षमता के लिए सक्रिय लाइसेंस एफएसएसएआई के अनुसार (मीट्रिक टन में)	
		केंद्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18	0	5960.5
आंध्र प्रदेश	13994	68845980.7	4036751.4
अरुणाचल प्रदेश	20	0	365
असम	1092	319550	65380.02
बिहार	12853	8721885	1252505.76
चंडीगढ़	58.87	217800	0
छत्तीसगढ	2124	1234722	266125.55
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	342000	730
दिल्ली	488	888132	37393
गोवा	64	427000	14477
गुजरात	18312	229167332.6	4222750.51
हरियाणा	12220	33408936.1	26578998.56
हिमाचल प्रदेश	1749	307656	213710.6
जम्मू एवं कश्मीर	2875	1977618	58131.3
झारखंड	3025	1368928	96701.805
कर्नाटक	13463	24611903.04	11855112.65
केरल	2580	3358434	2647600.535
लद्दाख	29.31	0	256
लक्षद्वीप	0.39	0	0
मध्य प्रदेश	21326	34445323.36	25137125.84
महाराष्ट्र	16045	98878956.5	260832984.9
मणिपुर	63	0	6571.2
मेघालय	97	0	39
मिजोरम	25	0	120
नागालैंड	53	0	8380
ओडिशा	2636	3573335	211419.85
पुदुचेरी	50	71437.8	74278
पंजाब	14000	17406758.8	1672117.25
राजस्थान	34733	21262334.16	50670038.94
सिक्किम	81	0	256
तमिलनाडु	10808	30446058.24	53085600.62
तेलंगाना	5840	20203574.25	1304735.17
त्रिपुरा	247	0	14438.65
उत्तराखंड	38780	1501715	180212.35
उत्तर प्रदेश	1898	87052277.55	245876667
पश्चिम बंगाल	7650	23256994.5	2237692.305
कुल	**239299.57**	**713296642.6**	**692665627.3**

अनुबंध-II

डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यवार लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

राज्य	डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
आंध्र प्रदेश	9149
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	2584
बिहार	12644
चंडीगढ़	0
छत्तीसगढ	4751
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	0
गोवा	101
गुजरात	5573
हरियाणा	2057
हिमाचल प्रदेश	1509
जम्मू और कश्मीर	1288
झारखंड	2220
कर्नाटक	7411
केरल	1003
लद्दाख	0
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	7795
महाराष्ट्र	6615
मणिपुर	330
मेघालय	424
मिजोरम	112
नागालैंड	107
ओडिशा	9687
पुदुचेरी	41
पंजाब	4818
राजस्थान	12712
सिक्किम	226
तमिलनाडु	4589
तेलंगाना	2861
त्रिपुरा	159
उत्तर प्रदेश	15128
उत्तराखंड	2513
पश्चिम बंगाल	3015
अखिल भारतीय	**121422**

*****